निर्णय ब इजलास प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 79/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पिंकी देवी निवासी पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

दिनांक 08.07.2025

निर्णय

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जरिये ऑनलाईन पॉर्टल, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ के द्वारा नियत समय गुजरने के बाद भी चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/201 दिनांक 27.06.2025 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/165 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा परिवादी को सूचना भिजवा दी जा चुकी है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील खारिज फरमाने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (जे) में वर्णित अनुसार देय नहीं है, जिसकी सूचना जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/165 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा परिवादी को सूचना भिजवा दी जा चुकी है। प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतित होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)
सत्यमेव जयते

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़